संख्या-23/2026-354-001-5-9002-099-1-2026

प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2026

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेंस कार्यक्रम में केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु035/पुनर्विनि0/एन0एच0एम0/2025-26/4511, दिनांक 17.02.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स कार्यक्रम में प्राप्त केन्द्रांश रू0 22729.91 लाख के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 15153.27 लाख (रूपये एक अरब इक्यावन करोड तिरपन लाख सत्ताईस हजार मात्र) अवमुक्त करने हेतु अनुदान संख्या-35 राजस्व, लेखाशीर्षक-2211-परिवार कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के060/रा040 के0), 42-अन्य व्यय प्राविधानित धनराशि में से बचत धनराशि रू0 15153.27 (रूपये एक अरब इक्यावन करोड तिरपन लाख सत्ताईस हजार मात्र) को अनुदान संख्या-35 लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2211-परिवार कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0104-काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स ग्राण्ट (के060/रा040-रा0) मानक मद-42 अन्य व्यय के अन्तर्गत संलग्न बी0एम-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था कराते हुये आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृत/अवमुक्त कर राज्य स्वास्थ्य समिति को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराई जायेगी कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में किया जायेगा।

(7) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।

(8) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,51,53,27,000 (रुपये एक अरब इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख सत्ताईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 2211008000104 काइंड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस ग्रांट मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-23/2026-354(1)-001-5-9002-099-1-2026 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उत्तार प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- /2026-354-001-5-9002-099-1-2026, तद्दिनांक।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A005-20252026-5-9002-099-1-2026

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेंस कार्यक्रम में केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
035	2211008000101 (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.))	42 (अन्य व्यय)	70,45,90,29,000 रुपये सत्तर अरब पैंतालीस करोड़ नब्बे लाख उनतीस हजार मात्र	29,16,38,00,000 रुपये उनतीस अरब सोलह करोड़ अड़तीस लाख मात्र	1,51,53,27,000 रुपये एक अरब इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख सत्ताईस हजार मात्र	1,51,53,27,000 रुपये एक अरब इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख सत्ताईस हजार मात्र	68,94,37,02,000 रुपये अड़सठ अरब चौरानबे करोड़ सैंतीस लाख दो हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 1,51,53,27,000	₹ 1,51,53,27,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
035	2211008000104 (काइंड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस ग्रांट)	42 (अन्य व्यय)	81,04,71,000 रुपये इक्यासी करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार मात्र	1,51,53,27,000 रुपये एक अरब इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख सत्ताईस हजार मात्र	1,51,53,27,000 रुपये एक अरब इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख सत्ताईस हजार मात्र	2,32,57,98,000 रुपये दो अरब बत्तीस करोड़ सत्तावन लाख अट्ठानबे हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 1,51,53,27,000	₹ 1,51,53,27,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

संख्या:आर0ई0-बजट-1-453-2025-26, दिनांक: 09.03.2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

संख्या- /2026/354(1)-001-5-9002-099-1-2026, **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।